न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 40/2011

अपीलांट

1. मु. पैम्पी बेवा हीरा, आयु 65 साल
2. श्रीमती रामश्वेरी पत्नी सदराम, आयु 28 साल
3. सुश्री रमीला पुत्री गोडाराम नाबालिग की कुदरती वलीया दादा मु. पैम्पी बेवा हीरा, आयु 10 साल
4. निरमादेवी धर्म पत्नी सुखराम, आयु 32 साल जातियान विश्नोई, साकिनान परावा, तहसील सांचोर, जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. श्रीमती मीरा पत्नी मोती, भीमाराम, जाति विश्नोई, निवासी तेतरोल, तहसील सांचौर, जिला जालोर।
2. ठाकरा पुत्र मोती
3. मांगीलाल पुत्र चोखा
4. रघुनाथ पुत्र चोखा
5. पूनमा पुत्र इसरा फौत के कायम मुकाम–
   5/1 श्रीमती गंगादेवी पत्नी पूनमा
   5/2 भैराराम पुत्र पूनमा
   5/3 परमे वरी पत्नी पूनमा
   5/4 सुंदर पुत्री पूनमा
6. झालाराम पुत्र ईसरा
7. राजूराम पुत्र ईसरा
8. राजूराम पुत्र ईसरा
9. बाबूराम पुत्र ईसरा जातियान विश्नोई, निवासीगण परावा, तहसील सांचौर, जिला जालोर।
10. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑ बीकानेर एंड जयपुर ाखा सांचौर
11. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री सिकन्दर सैयद अली, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 08

शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

—: निर्णय :—

दिनांकः— 13.05.19.

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा मुकदमा संख्या 22/2011 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2011 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मीरा ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 560, 561, 562, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1538, 1542, 1543, 1544 कुल रकबा 31.67 हैक्टेयर के संबध में खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया, साथ ही प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी बताते हुए प्रस्तुत किया हैं जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मीरा ने तो स्वर्गीय मोती की जायन्दा पुत्री है। एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्व. मोती की पुत्री होने के संबध मे किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नही किया है। वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही है। अपीलांट संख्या 02 रामेश्वरी ने अपीलांट पैम्पीदेवी से वादग्रस्त आराजी में स्थित श्रीमती पेम्पी के हिस्से की भूमि को दिनांक 17.11.09 के जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज बेचान किया गया। उक्त क्रयशुदा आराजी का नामान्तरण रामेश्वरी के पक्ष में भरा जाकर विधिवत खातेदारी इन्द्राज हुई। जिसमें किसी भी रेकर्डेड सहखातेदारान को कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 10 व 11 का कोई जवाब रेकर्ड पर नहीं लिया। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.06.2011 को रेस्पोडेन्ट संख्या 03, 04, 06, 07 (2, 3, 4) में इकबाली जवाब प्रस्तुत करने के दौरान उनकी पहचान वकील जरिये करने बताया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पहचान उक्त जवाबदावा को रेकर्ड पर लेकर जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नही है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 08 ने अपील बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मीरा ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

एक वाद वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 560, 561, 562, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1538, 1542, 1543, 1544 कुल रकबा 31.67 हैक्टेयर के संबध में खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया, साथ ही प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट की संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। एवं वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट की पुश्तैनी आराजी है। जिस पर रेस्पोडेन्ट का हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत जन्मसिद्ध अधिकार है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त आराजी पर अपने हिस्से के संबध में खातेदार घोषणा का वाद प्रस्तुत किया। साथ ही धारा 212 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति बिन्दुओ का ध्यान रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मीरा ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 560, 561, 562, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1538, 1542, 1543, 1544 कुल रकबा 31.67 हैक्टेयर के संबध में खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया, साथ ही प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबध में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जो आदिनांक तक विचाराधीन है। हस्तगत प्रकरण में निम्न कानूनी बिन्दू उदभूत होते है (1) क्या रेस्पोडेन्ट संख्या 01 स्वर्गीय मोती की जायन्दा पुत्री है अथवा नही ? क्या रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का वादग्रस्त आराजी में हक हिस्सा निहित है अथवा नही एंव है तो किस हद तक ? उक्त समस्त बिन्दुओ का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद के गुणवागुण पर निस्तारण के समय तय होगे। किन्तु तब तक अगर वादग्रस्त आराजी के मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति में किसी प्रकार फेरबदल होता है। तो इससे निश्चय ही वाद बाहुल्यता बढने की आंशका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जिसमे हम किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। तथा सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा मुकदमा संख्या 22/2011 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2011 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली